मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

सोमवार, दिनांक 1 मार्च, 2021 (फाल्गुन 10, शक संवत् 1942)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:01 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नकाल में मौखिक उल्लेख

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रश्नकाल में उल्लेख किया कि जन भावनाओं से जुड़ा विषय आसंदी के ध्यान एवं संज्ञान में लाना चाहता हूँ. गोडसे के एक भक्त को कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी पार्टी में शामिल किया है. इसके विरूद्ध प्रदेश में गांधी जी की मूर्ति को कोई गंगाजल से धो रहा है, कोई फूल माला पहना रहा है, कोई यात्राएं निकाल रहा है. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं अन्य कांग्रेस के सदस्यगण इसका विरोध कर रहे हैं, जिससे वातावरण दूषित होता है. जब जनहित के मुद्दों की चर्चा होनी चाहिये, तब हत्यारों की पूजा होने लग जाये, तो इससे ज्यादा चिंता और निन्दा की कोई बात प्रदेश के अन्दर हो नहीं सकती है. स्पष्ट है कि इससे ये लोग गांधी जी का उपयोग सिर्फ वोट प्राप्त करने के लिये करते हैं.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 9 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 एवं 10) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. इनमें से प्रश्न संख्या 4 एवं 6 वर्चुअल से प्रश्नकर्ता सदस्यों द्वारा पूछे गए. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 115 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 128 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख

माननीय सदस्यों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने यह उल्लेख किया कि आज कोरोना वैक्सीन का द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीन का टीका लगवाकर इस वैक्सीन के बारे में भ्रम को दूर कर दिया है. अत: 60 वर्ष के ऊपर के माननीय सदस्यों को भी आसंदी टीके लगवाने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाए. सर्वश्री कुणाल चौधरी, नर्मदा प्रसाद प्रजापति, सदस्यगण ने भी उल्लेख किया कि प्रदेश के सभी लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाई जाये और शासकीय प्राथमिकतानुसार वैक्सीन लगाने का क्रम तय किया जाए.

आसंदी ने सदन को सूचित किया कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री का सुझाव उपयुक्त है, सभी सदस्यगण सुविधानुसार वैक्सीन का टीका लगवाने का कष्ट करें.

4. स्थगन प्रस्ताव

सीधी जिले के शारदा पटना गांव में नहर में बस डूबने से अनेक यात्रियों की मृत्यु होना

सीधी जिले के शारदा पटना गांव में नहर में बस डूबने से अनेक यात्रियों की मृत्यु होने संबंधी स्थगन प्रस्ताव की प्राप्त सूचनाओं में से श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य की अधिक तथ्यात्मक सूचना को ग्राह्य कर अध्यक्ष महोदय द्वारा पढ़ा गया. तत्काल प्रारंभ की गई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री कमलेश्वर पटेल
(2) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति
(3) श्री शरदेन्दु तिवारी

सभापति महोदया (श्रीमती नीना विक्रम वर्मा) पीठासीन हुई.

(4) डॉ. गोविन्द सिंह
(5) श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

(6) श्री रामखेलावन पटेल, राज्यमंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण
(7) श्री पी.सी. शर्मा
(8) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया
(9) श्री संजय यादव

(अपराह्न 1.30 बजे से 3.03 बजे तक अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

5. औचित्य का प्रश्न एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय सदस्यों को बोलने के लिए बाध्य किया जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने औचित्य का प्रश्न उठाया कि आज एक महत्वपूर्ण स्थगन पर सदन में चर्चा हो रही है परन्तु विपक्ष के अनेक महत्वपूर्ण सदस्य की अनुपस्थिति दर्शारही है कि विपक्ष इस स्थगन प्रस्ताव पर गंभीर नहीं है और जिन माननीय सदस्यों का नाम स्थगन प्रस्ताव में है उन्हें कम से कम उपस्थित रहना चाहिए. इस पर आसंदी की व्यवस्था आनी चाहिए.

डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ, सदस्य, ने उल्लेख किया कि इस स्थगन पर विपक्ष के अनेक सदस्य बोल चुके हैं शेष बोलेंगे इसलिए संसदीय कार्य मंत्री के प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है.

आसंदी ने सदन को सूचित किया कि ये सदस्यों के अधिकारों का सवाल है कि वो बोलना चाहते है कि नहीं बोलना चाहते हैं, किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है.

6. स्थगन प्रस्ताव (क्रमश:)

(10) श्री शैलेन्द्र जैन
(11) श्री कुणाल चौधरी

सभापति महोदय (श्री केदारनाथ शुक्ल) पीठासीन हुए.

(12) श्री बहादुर सिंह चौहान
(13) श्री लक्ष्मण सिंह
(14) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ
(15) श्री तुलसीराम सिलावट, जल संसाधन मंत्री
(16) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, परिवहन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

7. बहिर्गमन

डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.

8. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य की गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में बैकलॉग के पदों को अनदेखा कर सामान्य वर्ग को नियुक्ति दी जाने,

(2) डॉ. सतीश सिंह सिकरवार, सदस्य की ग्वालियर में मुरार थाना क्षेत्रान्तर्गत डबका गांव में आकाशीय बिजली गिरने से मृत मजदूर को आर्थिक सहायता न मिलने,

(3) श्री आलोक चतुर्वेदी, सदस्य की छतरपुर शहर में पूर्व से निर्मित तालाबों का संरक्षण सौन्दर्यकरण एवं अन्य आवश्यक कार्य कराये जान,

(4) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी, सदस्य की जबेरा क्षेत्र में स्वीकृत स्टाप डेम का निर्माण न किये जाने,

(5) कुंवर विक्रम सिंह, नातीराजा, सदस्य की जिला छतरपुर तह. राजगर में बरियारपुर डैम का पानी किसानों को सिंचाई हेतु न मिलने,

(6) श्री अशोक रोहाणी, सदस्य की केन्ट वि.स. अंतर्गत गरीब वर्ग के हितग्राहियों को राशन की दुकानों पर मिलने वाला राशन पात्रता पर्ची के आभाव में नहीं मिलने,

(7) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा, सदस्य की मुरैना जिले के मूल निवासी पूर्व सैनिक का मुरैना कलेक्ट्रेट कार्यालय में शस्त्र लायसेंस का इंद्राज न किये जाने,

(8) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य की केन्द्र व राज्य प्रवर्तित योजनाओं के माध्यम से स्कूली छात्र-छात्राओं हेतु प्रदेश के साथ रतलाम में बनाये गये शौचालय व सुविधा घर घटिया स्तर के होने,

(9) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य की जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ में लभगभ 24 वर्षों से एक ही विकासखण्ड में पदस्थ उपयंत्री द्वारा निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार किये जाने तथा

(10) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य की भोपाल में संत हिरदाराम नगर की गायत्री कॉलोनी में स्थापित गैर शासकीय चिकित्सालयों में आने वाले वाहनों से आवागमन अनियंत्रित होने,

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं.

9. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने द स्टेट फायनेंशियल कार्पोरेशन एक्ट, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा-37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार -

(क) मध्यप्रदेश वित्त निगम के 31 मार्च, 2018 एवं 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का पृथक् लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, तथा

(ख) मध्यप्रदेश वित्त निगम का 64 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19,

पटल पर रखा.

(2) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, खनिज साधन मंत्री की अनुपस्थिति में डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने जिला खनिज प्रतिष्ठान, सिंगरौली, झाबुआ एवं बालाघाट का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 पटल पर रखे.

(3) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री ने मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, इन्दौर (म.प्र.) का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19 पटल पर रखा.

(4) सुश्री उषा ठाकुर, पर्यटन मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का 39 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 पटल पर रखा.

(5) श्री हरदीप सिंह डंग, पर्यावरण मंत्री ने मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20 पटल पर रखा.

10. ध्यानाकर्षण

(1) कुँवर विक्रम सिंह, सदस्य ने पन्ना नेशनल पार्क के विस्तार हेतु विस्थापित किसानों को भू-अधिकार पुस्तिका न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

डॉ. कुँवर विजय शाह, वन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

(2) श्री आलोक चतुर्वेदी, सदस्य ने छतरपुर में मेडीकल कॉलेज का निर्माण कार्य प्रारंभ न होने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री विश्वास सारंग, चिकित्सा शिक्षा मंत्री की अनुपस्थिति में डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

11. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(2) श्री राहुल सिंह लोधी (जिला-टीकमगढ़)
(3) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक (जिला-कटनी)
(4) श्री उमाकांत शर्मा (जिला-विदिशा)
(5) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला-टीकमगढ़)
(6) श्री विक्रम सिंह (जिला-सतना)
(7) श्री पी.सी. शर्मा (जिला-भोपाल शहर)
(8) श्री अनिल जैन (जिला-निवाड़ी)
(9) श्री सुनील उईके (जिला-छिन्दवाड़ा)
(10) श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी (जिला-जबलपुर)
(11) श्री संजय यादव (जिला-जबलपुर)
(12) श्री प्रहलाद लोधी (जिला-पन्ना)
(13) श्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी (जिला-दमोह)
(14) श्री देवीलाल धाकड़ (जिला-मंदसौर)
(15) श्री अनिरूद्ध (माधव) मारू (जिला-नीमच)
(16) श्री आलोक चतुर्वेदी (जिला-छतरपुर)
(17) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर)
(18) श्री मनोज चावला (जिला-रतलाम)
(19) कुवंर विक्रम सिंह (जिला-छतरपुर)
(20) श्री लाखन सिंह यादव (जिला-ग्वालियर)
(21) श्री जालम सिंह पटैल (जिला-नरसिंहपुर)
(22) श्री सूबेदार सिंह रजौधा (जिला-मुरैना)
(23) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-ग्वालियर शहर)
(24) श्रीमती मनीषा सिंह (जिला-शहडोल)
(25) श्री ग्यारसीलाल रावत (जिला-बड़वानी)
(26) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(27) श्री के.पी. त्रिपाठी (जिला-रीवा)
(28) श्री राकेश गिरि (जिला-टीकमगढ़)
(29) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (जिला-अनूपपुर)
(30) श्री दिनेश राय (जिला-सिवनी)
(31) श्री राज्यवर्धन सिंह (जिला-राजगढ़)
(32) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिन्दवाड़ा)
(33) श्रीमती झूमा सोलंकी (जिला-खरगोन)
(34) श्री सुरेश राजे (जिला-ग्वालियर)
(35) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(36) श्री नारायण सिंह पट्टा (जिला-मण्डला)
(37) श्री राकेश मावई (जिला-मुरैना शहर)
(38) श्री प्रणय प्रभात पांडे (जिला-कटनी)
(39) श्री प्रेमशंकर वर्मा (जिला-होशंगाबाद)
(40) श्री राजेश कुमार प्रजापति (जिला-छतरपुर)
(41) श्री प्रियव्रत सिंह (जिला-राजगढ़)
(42) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया (जिला-मंदसौर)
(43) श्री राम दांगोरे (जिला-खण्डवा)

(44) डॉ. गोविन्द सिंह (जिला-भिण्ड)
(45) श्री जजपाल सिंह 'जज्जी' (जिला-अशोकनगर)
(46) श्री तरबर सिंह (जिला-सागर)
(47) श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-धार)
(48) श्री कुणाल चौधरी (जिला-शाजापुर)
(49) श्री शरद जुगलाल कोल (जिला-शहडोल)

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्र, गृह मंत्री ने मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक, 2021 (क्रमांक 1 सन् 2021) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्र, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 10 सन् 2020) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
(1) श्री विनय सक्सेना
(2) श्री पी.सी. शर्मा

श्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 3 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

डॉ. नरोत्तम मिश्र ने प्रस्ताव किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 10 सन् 2020) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(3) डॉ. नरोत्तम मिश्र, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 14 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) श्री पी.सी. शर्मा

डॉ. नरोत्तम मिश्र ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 4 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

डॉ. नरोत्तम मिश्र ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 14 सन् 2021) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ.

(4) डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2021 (क्रमांक 8 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री विनय सक्सेना
(2) श्री बाला बच्चन
(3) श्री बहादुर सिंह चौहान

डॉ. मोहन यादव ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 5 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

डॉ. मोहन यादव ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2021 (क्रमांक 8 सन् 2021) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(5) डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 9 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री विनय सक्सेना
(2) श्री बाला बच्चन
(3) श्री शैलेन्द्र जैन

डॉ. मोहन यादव ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 5 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

डॉ. मोहन यादव ने प्रस्ताव किया कि डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 9 सन् 2021) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(6) डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 10 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री विनय सक्सेना
(2) श्री बाला बच्चन
(3) श्री राजेन्द्र शुक्ल
(4) डॉ. गोविन्द सिंह

डॉ. मोहन यादव ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 5 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

डॉ. मोहन यादव ने प्रस्ताव किया कि पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 10 सन् 2021) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

13. अध्यक्षीय घोषणा
सदन के समय में वृद्धि विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की कि आज की कार्यसूची में उल्लिखित कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए.

14. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

(7) डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2021 (क्रमांक 11 सन् 2021) पर विचार किया जाय. श्री केदार नाथ शुक्ल, सदस्य ने संक्षिप्त भाषण दिया.

डॉ. मोहन यादव ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 3 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

डॉ. मोहन यादव ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2021 (क्रमांक 11 सन् 2021) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

अपराह्न 5.42 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 2 मार्च, 2021 (11 फाल्गुन, शक सम्वत् 1942) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल:
दिनांक: 1 मार्च, 2021.